

पत्रावली का जवाब

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या/१/२०१९ राजस्थान भू-राजस्व अधि नेयम, 1956 को धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये बगान

श्री देवाराम पुत्र सोवाराम

पटवारी हल्का रागापट

जाते प्रवाशिन निवासी देवाणी
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।


निर्णय

पत्रावली आज बमुकान गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की ~~रकबा~~ / मनु । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रागापट ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम देवाणी के खसरा नम्बर १५५१ रकबा ५५७७ बीघा में से ०.०३ बीघा किन्तु सरसु गोचर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैरसायल का जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।


अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमण घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमण भूमि से बेदखल करने के आदेश परत किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर पचास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसुल हो।

टी.आर.ए, पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडरारोड़
तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 50 फसल नि. _____
कुल योग 52 जि.के पृष्ठ सं 26
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।


तहसील राजस्व लेखाकार